

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 32/2021

दायर दिनांक : 14/12/2021

निर्णय दिनांक : 14/06/2022

उनवान

1. उंकार पुत्र सवाईराम जाट निवासी बाबरियाखेड़ा तहसील भूपालसागर
2. किशना पुत्र सवाईराम जाट निवासी बाबरियाखेड़ा तहसील भूपालसागर
3. छोगा पुत्र सवाईराम जाट निवासी बाबरियाखेड़ा तहसील भूपालसागर
4. रामचन्द्र पुत्र सवाईराम जाट निवासी बाबरियाखेड़ा तहसील भूपालसागर
5. रामलाल पुत्र सवाईराम जाट निवासी बाबरियाखेड़ा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. उंकार पिता हीरालाल जाट निवासी बाबरियाखेड़ा तहसील भूपालसागर
2. जगदीश पिता माधू जाट निवासी बाबरियाखेड़ा तहसील भूपालसागर
3. रमेश पिता माधू जाट निवासी बाबरियाखेड़ा तहसील भूपालसागर
4. राजू पिता माधू जाट निवासी बाबरियाखेड़ा तहसील भूपालसागर
5. राधी पुत्री उंकार जाट निवासी बाबरियाखेड़ा तहसील भूपालसागर
6. रतनलाल पिता सोराम जाट निवासी बाबरियाखेड़ा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये, इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थी रेकार्डड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा ग्राम बाबरियाखेड़ा की आ.सं. 105-0.13, आ.सं. 106-0.12, आ.सं. 107-0.13, आ.सं. 289-0.31, आ.सं. 292-0.24, आ.सं. 293-0.06, आ.सं. 194-0.23, आ.सं. 295-0.20, आ.सं. 296-0.73, आ.सं. 730-0.13, आ.सं. 367-0.43, आ.सं. 368-0.21, आ.सं. 369-0.07, आ.सं. 685-0.02, आ.सं. 707-0.07, आ.सं. 729-0.25, आ.सं. 730-0.26, आ.सं. 741-0.20, आ.सं. 742 रकबा 0.20, आ.सं. 744-0.54, आ.सं. 77-0.25, आ.सं. 780-0.12 किता 23 रकबा 4.80 हैक्टेयर भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल होकर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया ।

(भावना सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)